भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5076

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देना

†5076. श्री दयानिधि मारनः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कोविड-19 महामारी के कारण तमिलनाडु में पर्यटन उद्योग के समक्ष आ रही बाधाओं के संबंध में कोई रिपोर्ट या लेखा परीक्षा उपलब्ध है और इन मुद्दों के समाधान के लिए बजट में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को बंद किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट या विश्लेषण उपलब्ध है और यदि हां, तो इसके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय ने विगत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन क्षेत्र में नुकसान के आकलन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने ''भारत तथा कोरोनावायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों का आर्थिक नुकसान और बहाली सम्बन्धी नीतियाँ'' विषय पर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को नियुक्त किया था। इसके मुख्य निष्कर्ष अनुबंध-I में दिए गए हैं।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटन उद्योग पर कोविड-19 महामारी के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं करवाया है।

कोविड-19 के पश्चात तमिलनाडु सहित देश के पर्यटन क्षेत्र सहित उद्योग के पुनर्विकास हेतु सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपायों का ब्यौरा अनुबंध-**II** में दिया गया है।

पर्यटन क्षेत्र ने वर्ष 2020 में 2.74 मिलियन और वर्ष 2021 में 1.52 मिलियन की तुलना में वर्ष 2022 में भारत में 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीए) के साथ जोरदार वापसी की है । नवम्बर 2022 में होटल उद्योग में लगभग 68-70 प्रतिशत की ऑक्युपेंसी दर के साथ वर्ष 2019-20 के महामारी से पूर्व के औसत को फिर से पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) : पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत और जिम्मेदार गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में परिवर्तित किया है। अब तक 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास हेतु 48 गंतव्यों को चिन्हित किया गया है, जिसमें तमिलनाडु में मामल्लापुरम और नीलगिरी शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने मेलों/महोत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

वर्ष	मेलों/ महोत्सव का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
2019-20	(i) भारतीय नृत्य महोत्सव (ii) कुमारी महोत्सव (iii) पर्यटन सांस्कृतिक महोत्सव	50.00	50.00
2021-22	मामल्लापुरम में भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00	25.00

उपर्युक्त के अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजना के अंतर्गत 22 अभिज्ञात रेलवे स्टेशनों पर पर्यटक सुविधाओं के संयुक्त विकास के लिए रेल मंत्रालय को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में 2 रेलवे स्टेशन यथा रामेश्वरम और मदुरै को चिह्नित किया गया है। मदुरै और रामेश्वरम रेलवे स्टेशनों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ 50:50 लागत की हिस्सेदारी के आधार पर क्रमशः 4.48 करोड़ रुपये और 4.70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इस स्वीकृत राशि में से, मदुरै और रामेश्वरम रेलवे स्टेशनों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए रेल मंत्रालय को क्रमशः 3.56 करोड़ रुपये और 3.76 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है ।

पर्यटन मंत्रालय तमिलनाडु सहित भारत के पर्यटन गंतव्यों का समग्र रूप से संवर्धन करता है। यह संवर्धन कार्य 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)' और 'विदेशी संवर्धन एवं प्रचार (ओपीपी)' की इसकी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पहलों के माध्यम से किया जाता है। अपनी चल रही गतिविधियों के एक भाग के रूप में, भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों के संवर्धन के लिए यह नियमित रूप से "अतुल्य भारत" ब्रांड लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियान जारी करता है। पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जाता है।

*****

अनुबंध-।

तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 03.04.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †5076 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

''भारत तथा कोरोनावायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों का आर्थिक नुकसान और बहाली संबंधी नीतियाँ'' अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) वर्ष 2020-21 में समग्र आर्थिक मंदी के कारण पर्यटन अर्थव्यवस्था अथवा पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्यवर्धन (टीडीजीवीए) में पहली तिमाही में 42.8%; दूसरी तिमाही में 15.5% और तीसरी तिमाही में 1.1% की गिरावट देखी गई I

(ii) अनुमान है कि महामारी के दौरान पर्यटक आगमन में और उसके परिणामस्वरुप पर्यटन संबंधी व्यय में आई अत्यधिक गिरावट के कारण वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में टीडीजीवीए पिछले वर्ष की समान तिमाही के स्तर की तुलना में 93.3 प्रतिशत गिर गया था I दूसरी तिमाही में कुछ बेहतर प्रदर्शन के साथ यह गिरावट 79.5% और तीसरी तिमाही में 64.3% के स्तर पर रही ।

(iii) लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार का नुकसान हुआ I पर्यटन क्षेत्र में पहली तिमाही के दौरान 14.5 मिलियन दूसरी तिमाही के दौरान 5.2 मिलियन और तीसरी तिमाही के दौरान 1.8 मिलियन रोजगार के नुकसान का आकलन है जबकि वर्ष 2019-20 की महामारी से पहले की अवधि में अनुमानित 34.8 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार था ।

*****

अनुबंध-।।

तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में दिनांक 03.04.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †5076 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

कोविड-19 के पश्चात तमिलनाडु सहित देश के पर्यटन क्षेत्र उद्योग के पुनर्विकास हेतु सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहत उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रु. का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी ।

(ii) आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

(iii) पांच करोड़ रु. तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।

(iv) सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।

(v) अक्टूबर 2020 तक स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) का आस्थगन।

(vi) केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है।

(vii) पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र कर्जदारों को योजना के तहत उनके द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। योजना के तहत स्वीकार्य गारंटी सीमा को 4.5 लाख करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रु. कर दिया

गया है, जिसमें 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त गारंटी कवर नागरिक उड्डयन क्षेत्र सहित आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए विशेष रूप से निर्धारित है।

(viii) 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

(ix) पर्यटन मंत्रालय ने 'कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)' शुरू की थी, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र को उनकी देनदारियों का निर्वहन करने और इस योजना के तहत कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/ ट्रैवल एजेंटों/परिवहन ऑपरेटरों द्वारा प्रत्येक को 10.00 लाख रु. तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइड प्रत्येक के द्वारा 1.00 लाख रु. तक का लाभ प्राप्त किया जा सकता है । यह योजना पहले से ही 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से चल रही है। योजना की वैधता को एक और वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 तक या योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है।

(x) कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

(xi) होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ‘‘साथी’’ (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

(xii) पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

(xiii) देश में अंतर्गामी पर्यटन को फिर से शुरू करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा मुफ्त में दिए हैं। पहले 5 लाख निःशुल्क पर्यटक वीजा जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा।

(xiv) कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है।

(xv) गृह मंत्रालय ने 166 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए अभी तक ई-टूरिस्ट वीजा की बहाली की है।

*****